न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 40/2017

अनवान :-

सरबती उर्फ बाला पत्नी झाबरराम जाति जाट निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।

- सायला

बनाम

1. भगवाना पुत्र लालचंद जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
2. छोटु पुत्र लालचंद जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
3. छनों पत्नी नीकूराम जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
4. औमप्रकाश पुत्र नीकूराम जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
5. दशरथ पुत्री नीकूराम जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
6. बलबीर पुत्री नीकूराम जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
7. धर्माराम पुत्र नीकूराम जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
8. चन्दो पत्नी स्व. रणजीत जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
9. मांगेराम पुत्र स्व. रणजीत जाति जाट डारा निवासी चक चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, शाखा गांधीबड़ी जरिए शाखा प्रबंधक गांधीबड़ी तहसील भादरा।
12. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक भादरा तहसील भादरा।

- गैरसायल

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

उपस्थिति : वकील श्री राजेंद्र गोयल : **सायला**

वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : गैरसायल सं 3 ता 9

वकील श्री दिवान सिह : गैरसायल सं. 2

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा(जिला-हनुमानगढ)

निर्णय **दिनांक : 17-12-18**

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि सायल कि चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 62/66 में मु.न. 27 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 11 ता 25 की कुल 3.795 कुल खसरा 4.048 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि स्थित है। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के अन्दर भगवाना, छोटु, बहिब. 160 हिस्सा, छनो पत्नी नीकूराम 80 हिस्सा, चन्दो पत्नी रणजीत, मांगेराम पुत्र रणजीत 80 हिस्सा के हिसाब से दर्ज है। नकल जमाबंदी चक 6 डीपीएन सम्वत 2071–74 संलग्न आवेदन है।

कृषि भूमि जेरबहस नीकूराम, रणजीतराम, भगवानाराम, छोटुराम एवं सायला के पति झाबरराम ने शामिल रूप से कीमतन दिनांक 13.06.1967 को श्योचंद पुत्र चोखाराम जाति अहीर निवासी चक भोजासर से जरिए मुखत्यार खास मिन जानिब जगरूपराम वल्द सुखदेव जाति अहीर निवासी लालबाई जिला फिरोजपुर की मार्फम खरीद कर बैयनामा अपने हक में पंजीबद्ध करवा लिया।

नीकूराम की मृत्यु हो चुकी है। जिसके हक पर उसकी पत्नी छनों व चार पुत्र औमप्रकाश, दशरथ, बलबीर एवं धर्मा कायम मौजुद है। रणजीत की मृत्यु हो चुकी है। जिसके हक पर उसकी पत्नी चन्दो व पुत्र मांगेराम कायम मुकाम मौजुद है। झाबर की भी दिनांक 13.03.1975 को मृत्यु को चुकी है। जिसके हक पर उसकी पत्नी सरबती सायला कायम मुकाम मौजुद है।

गैरसायल औमप्रकाश ने सायला के हक व हिस्से की कृषि भूमि को हड़प करने के लिए बसमूल दिगर गैरसायलान आपस में षड़यंत्र कर लिया एवं लालचंद के वारिसान के सजरे में झाबर को लाऔलाद फौत दिखाकर कृषि भूमि नीकूराम के वारिस 1/4 हिस्सा, रणजीत के वारिस 1/4 हिस्सा, भगवाना 1/4 हिस्सा, व छोटु 1/4 हिस्सा के हिसाब से जमाबंदी में दर्ज करवा लिया। जिसकी भनक सायला को नही लगने दी। जबकि झाबर के हक पर उसकी पत्नी सरबती उर्फ बाला जो वाद पत्र में सायला है, कायम मुकाम मौजुद थी। गैरसायलान ने सजरा खानदान लालचंद में झाबर के आगे "लाऔलाद फौत" लिख दिया एवं उसकी पत्नी मौजुद होने के तथ्य को जानबुझकर छुपा लिया जिससे वाद भूमि सायला के नाम खातेदारी दर्ज नही हुई।

सायला कृषि भूमि जेरबहस में 1/5 हिस्सा की बाबत खातेदार काश्तकार है। सायला अनपढ़, अशिक्षित, पर्दानशीन एवं ग्रामीण महिला होने के कारण उसे राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी व अन्य दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी नही रही है। गैरसायलान ने भी सायला के सामने कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करवाते समय सायला को कुछ नही बताया एवं पूरी कार्यवाही छिपे तौर पर की गई है।

सायला को करीब 20 दिन पहले रूपयों की आवश्यकता पड़ी तग सायला रूपयें प्राप्ती का ओर कोई साधन नही होने के कारण बैंक से किसान कार्ड बनवाकर रूपयें प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी श्री महेन्द्रसिह भाटी के पास जाकर जमाबंदी की नकल लेकर आई तब पटवारी ने सायला को बताया कि चक भोजासर की उक्त कृषि भूमि में उसका कोई नाम दर्ज नही है एवं भूमि नीकूराम, रणजीत के वारिसान एवं भगवाना तथा छोटुराम के नाम दर्ज की हुई है, तब सायला को प्रथम बार उक्त फर्जकारी का ज्ञान हुआ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

झाबरराम की मृत्यु के पश्चात झाबरराम की खरीदशुदा भूमि में सायला हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार हो गई थी एवं कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा सायला में निहित हो गया था। चूंकि झाबरराम के नुत्फे से सायला के कोई सन्तान नही हुई थी एवं सायला ने गांव में रिति रिवाज के मुताबिक विधवा होने के बावजुद भी छोटु की चुड़ी पहन ली व छोटु के साथ रहकर अपना गुजारा बसर करने लगी।

वाद भूमि में सायला का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नही होने से सायला के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। गैरसायलान ने बिना अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तरीके से झाबरराम के हक पर उसकी पत्नी सायला के मौजूद होने के तथ्यों को छुपाते हुए केवल लाऔलाद फौत दिखाकर सायला का हिस्सा कृषि भूमि में दर्ज नही होने दिया एवं सारी कार्यवाही गोपनीय तरीके से कर ली।

सायला न्यायालय से यह घोषणा करवाने की अधिकारी है कि सायला वाद भूमि 4.048 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में 1/5 हिस्से की बाबत खातेदार काश्तकार है। सायला न्यायालय से यह भी घोषणा करवाने की अधिकारी है कि गैरसायल भगवाना व छोटु वाद भूमि में 160 हिस्से की बजाय 2/5 हिस्से के एवं गैरसायल छनों पत्नी नीकूराम, औमप्रकाश, दशरथ, बलबीर, धर्माराम पुत्रान नीकूराम 80 हिस्सा की बजाय 4.048 हैक्टर में से 1/5 हिस्से के एवं गैरसायला चन्दो पत्नी रणजीत, मांगेराम पुत्र रणजीत 80 हिस्सा की बजाय कुल भूमि में 1/5 हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार सायला जमाबंदी को दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

गैरसायल ने वाद भूमि को खुर्द– बुर्द करने की धमकी दी है यदि वें ऐसा करने में कामयाब हो गए तो सायला को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। सायला गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन, बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करे एवं सायला को अपना 1/5 हिस्सा काश्त करने में कोई मदाखलत बैजा नही करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 2 एवं 3 ता 9 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि "दरख्वास्त की मद सं. 2 में सजरा खानदान गत, अस्पष्ट व अधुरा दर्ज किया है। सायला सरबती उर्फ बाला ने अपने का झाबर की पत्नी होना गलत दर्ज किया है। वस्तुतः सरबती उर्फ बाला की शादी छोटु के साथ हुई थी, एवं सायला छोटु की पत्नी थी एवं विवादित कृषि भूमि नीकू व रणजीत ने क्रय की थी जो उन्होने ने अपने साथ नाबालिगान भगवानाराम झाबरराम व छोटुराम का भी बैयनामें में लिखवा दिया था। झाबर का जन्म दिनांक 06.03.1954 को हुआ था, पर वक्त बैयनामा झाबर नाबालिग था।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील सायला नें न्यायिक दृष्टान्त सीसीसी 2008(3) राज. 026, उच्च न्यायालय 2011 पेज सं. 50785, 2013 पेजस सं. 33042, सीसीसी 2008(2) 065 2015(3) पेंज सं. 278, आरआरटी 2011–12 पेज सं. 680, आरआरटी. 2015(2) पेज सं. 1007, पंजस सं. 1376 एवं आरआरटी 2011 व 2013 (2) पेज सं. 766, 1264 प्रस्तुत की जिसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सायला ने चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 62/66 के मु.न. 27 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 11 ता 25

उपखण्ड अधिकारी (राज.) भादरा, जिला हनुमानगढ़

की कुल 3.795 कुल 4.048 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि में सायला की 1/5 हिस्से की खातेदारी भूमि को गैरसायलान रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करने बाबत पेश किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा स्वयं को झाबर की पत्नी बताया है व झाबर की मृत्यु के बाद वादभूमि में झाबर के हक हिस्सा पर स्वयं का हक हिस्सा बताया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को छोटु का पत्नी बताया है। उक्त सभी बिन्दुओं पर मूल वाद में विवाद्यक तय कर साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है। वादभूमि में खातेदारी अधिकारो के हक हिस्सा की घोषणा की जानी है व अन्तिम निर्णय में हक हिस्सा में किसी तरह का परिवर्तन होने से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन की सम्भावना है। दौराने वाद वादभूमि के अन्तरण से वाद बहुलता व वाद कलिष्टता की सम्भावना रहती है, इसलिए दौराने वाद वादभूमि को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। मगर अप्रार्थीगण भी वादभूमि के खातेदार काश्तकार है जिनको काश्तकारी हेतु बैक आदि से ऋण प्राप्त करने की आवश्यक सुविधा से वंचित करना उचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण रोही मोजा चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 62/66 के मु.न. 27 किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 11 ता 25 की कुल 4.048 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि में दिनांक 17.04.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश को ताफैसला अर्जीदावा कन्फर्म कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का आंशिक स्वीकार किया जाता है, कि वादभूमि बैय व दिगर तरीके से अन्तरण न करे तथा बैक ऋण के अलावा अन्य तरीके से रहन नही करे। अप्रार्थीगण काश्तकारी सुविधा हेतु बैक से ऋण हेतु रहन रखने के लिए स्वतंत्र है एवं बैक रहन रखने पर यह स्थगन आदेश लागू नही है।

आदेश आज दिनांक को 17.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़